छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/293 /एफ-2 (4)/48/सं.का./2014 रायपुर, दिनांक - 26/2/2014

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय,
रायपुर

विषय :- माननीय विधायकों को गृह निर्माण अथवा क्रय हेतु लिए गए ऋण पर शासन द्वारा ब्याज अनुदान ।

.. 00 ..

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि चतुर्थ विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों के साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विधान सभा के ऐसे सदस्य जो छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा के भी सदस्य हैं, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से जमीन या मकान क्रय हेतु भारत सरकार की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से या सहकारी/अपेक्स बैंक से लिए गए अधिकतम् ऋण सीमा रूपये 15.00 लाख (रूपये पंद्रह लाख) पर दिनांक 11.12.2013 के पश्चात् भुगतान की गयी किश्तों पर 2 प्रतिशत से अधिक ब्याज राशि को राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जावेगी । यह पात्रता चतुर्थ विधान सभा के उनके कार्यकाल की अवधि तक होगी । चतुर्थ विधान सभा के माननीय सदस्यों को म्निलिखित शर्तो के अधीन ब्याज अनुदान दिया जायेगा :-

1. संबंधित बैंक, ऋण देने के संबंध में समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करेंगे तथा दिये गए ऋण पर प्रचलित दर पर ब्याज ले सकेंगे ।

2. बैंक को देय ब्याज की राशि में से प्रथमतः 2 प्रतिशत् तक की राशि विधायक द्वारा वहन की जाएगी तथा शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी ।

3. ऋण पर ब्याज अनुदान चतुर्थ विधान सभा की अवधि अथवा ऋण लेने वाले विधायक के कार्यकाल की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक दिया जा सकेगा । समय सीमा के बाद की किसी अवधि के लिए ब्याज अनुदान नहीं दिया जा सकेगा ।

4. पूर्व में गृह निर्माण/क्रय हेतु लिए गए ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम की स्थिति में नया ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।

5. विधायक राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी/अपेक्स बैंक की जिस शाखा से ऋण प्राप्त करेंगे उसमें बचत खाता खोलकर अपने वेतन एवं भत्तों को जमा करेंगे ताकि बैंक उस खाते से मासिक किश्त तथा ब्याज (EMI) काट सकें ।

6. समय सीमा के बाद की अवधि के लिए भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी विधायक की होगी ।

7. विधायक जमा की गई किश्त एवं ब्याज अनुदान का प्रमाण पत्र बैंक से प्राप्त कर विधान सभा सचिवालय को देंगे जिसके आधार पर ब्याज अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विधायक को की जाएगी ।

.. 02

8. यह सुविधा छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा के गठन के दिनांक अर्थात् 11.12.2013 से लागू होकर इसके कार्यकाल की समाप्ति तक होगी तथा ऋण पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने की पात्रता केवल एक बार होगी ।

2/ इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 28–2011–संसद/राज्य/ संघ क्षेत्र/विधान मण्डल (02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल (101) विधान सभा–14, आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान शीर्ष में विकलनीय होगा ।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. कमांक 48/2013–57–00005/वित्त विभाग/ब–3/2014, दिनांक 18.02.2014 द्वारा प्रदान की गई ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग

पृ.क./294/एफ–2(4)/48/सं.का./2014 रायपुर, दिनांक – 26/2/2014

प्रतिलिपि :–

1/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर को यू.ओ. कमांक 48/2013–57–00005/वित्त विभाग/ब–3/2014, दिनांक 18.02.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

3/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4/ समस्त शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक/अपेक्स बैंक छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5/ विशेष सहायक, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

6/ समस्त कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, छत्तीसगढ़

(व्ही.के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, संसदीय कार्य विभाग